भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3240

(दिनांक 13.03.2020 को उत्तर देने के लिए)

टीवी चैनलों को सलाह

3240. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः

प्रो. सौगत रायः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि कई दृश्य मीडिया, देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने और देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए दृश्य और समाचार प्रसारित कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को एक सलाह/चेतावनी जारी की है जिसमें उन्हें उस सामग्री के बारे में सतर्क रहने को कहा गया है जो हिंसा को भड़का सकती है या दिल्ली में जारी हिंसा के आलोक में ''राष्ट्र-विरोधी'' दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी भी सामग्री को प्रसारित करने से संबंधित नियमों का उल्लंघन करते कोई चैनल पाया गया है जिससे हिंसा के बढ़ने या भड़कने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चिन्हित ऐसे चैनलों का ब्यौरा क्या है और लाइसेंस रद्द करने सहित उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने उन निजी चैनलों पर ध्यान दिया है जो संपादकीय राय के बहाने अपनी बहसों और टॉक शो में नफरत फैलाते हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ङ): सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों से अपेक्षा है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करें। जब कभी उपरोक्त संहिता का उल्लंघन सिद्ध होता है, तो नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

केंद्र सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करने के लिए सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी करती है। सरकार ने हाल ही में इस विषय पर दिनांक 11.12.2019, 20.12.2019 और 25.02.2020 को एडवाइजरी जारी की हैं।

*****